© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 03 | January – March 2018

हरियाणा राज्य में उभरता महिला नेतृत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन (हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के सन्दर्भ में)

पुष्पिन्द्र कौर , शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

भारत में व्यापक स्तर पर महिला राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष का प्रारम्भ स्वतन्त्रता आन्दोलनों के दौरान ही हो गया था। अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए भारतीय महिलाओं की तरफ से पहली माँग 1917 में की गई। 1917 में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1917 में ही मारग्रेट कॉजिन्स के नेतृत्व में 'सरोजनी नायडू, ऐनी बेसेन्ट, डॉ० जोशी, हीरा बाई टाटा एवं डारोथी जिना राजदास तत्कालीन भारत सचिव ई०एस० माण्टेन्यू व गवर्नर चेम्स फोर्ड से मिली तथा महिलाओं के मताधिकार की माँग की।

लोकतन्त्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें नागरिक अपने सामाजिक समुदायों के लिए नीति – निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वास्वत में यह नीति – निर्माण की प्रक्रिया समाज के समस्त सदस्यों की सामान्य सहभागिता पर निर्भर करती है, जहाँ पर सामान्य सहभागिता के आधार पर नीति –निर्माण की व्यवस्था होती है। इसे लघु स्तर पर हम वास्तव में स्वशासित समूह की संज्ञा में रख सकते हैं। ज्ञातव्य है कि लोकतन्त्र एक बड़ी व्यापक एवं विस्तृत संकल्पना है। लोकतन्त्र के सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि नीति – निर्माण की प्रक्रिया में समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। फाईनर (1970), राजनीतिक समाज में निंरकुश तंन्त्रों से लेकर लोकतन्त्रों तक में सामान्य जनता की अपेक्षा विशिष्ट वर्ग अधिक सक्रिय रहता है। यद्यपि जनंतात्रिक व्यवस्थाओं में जनता की शासन प्रक्रिया में भागीदारी आवश्यक है, फिर भी सभी जनतंत्र एक से नहीं होते हैं। इनमें भिन्नता का कारण जनता की भागीदारी के साथ–साथ इनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप भी होता है। जनसाधारण को शासन प्रक्रिया में भागीदारी जनमत संग्रह, लोकनिर्णय, चुनाव, प्रतिनिधित्व व्यवस्था व राजनीतिक दलों के माध्यम से प्राप्त होती है।

राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य संघटक है। प्रजातांत्रीय व्यवस्थाओं में यह अत्याधिक महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें नागरिकों से सुनिश्चित भागीदारी की आशा की जाती है। शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, सत्ताधारी यह चाहता है कि जनसाधारण को राज्य के मामलों में राजनीतिक सहभागिता के लिये प्रेरित किया जाये ताकि राजनीतिक सत्ता सबल बन सके। साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी स्थायित्व तथा निरन्तरता बनायी रखी जा सके। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था अधिकांश जिनको राजनीतिक सहभागिता का अवसर नहीं दिया जाए या इससे वंचित रखा जाए, तो उस समाज में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2015

भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में प्रावधानित पंचायतें 'भारतीय लोकतंत्र की रीढ़' कही गई हैं। पंचायतों ने न केवल लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है वरन नीति – निर्माण व क्रियान्वयन में जन – भागीदारी बढ़ाई और योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाया है।

लेकिन आज पंचायतें भ्रष्टाचार, अशिक्षा, आपराधिकरण, भाई – जातिवाद, लाल फीताशाही व जाति संप्रदायवाद जैसी समस्याओं से घिर गई हैं। चुनाव में अशिक्षित, भ्रष्ट व अपराधी उम्मीदवारों की जीत ने पंचायतों के गठन की मूल भावना को आहत किया है। पंचायतों की इस स्थिति का कारण प्रायः इसके चुने गए सदस्यों के चयन के माना जाता है। इसलिए निरंतर इस बात की मांग उठ रही थी कि पंचायत सदस्यों के चयन हेतु एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। राजस्थान प्रथम राज्य

था, जिससे सामान्य क्षेत्रों में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कक्षा 8, अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए कक्षा 5 व जिला परिषद् या पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हेतु कक्षा 10 उत्तीर्ण होने जैसी शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया था। अब हरियाणा ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक – 2005, 7 सितम्बर, 2015 को हरियाणा विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया। विधेयक में किए गए संशोधन के तहत 10वीं पास कर चुके व्यक्ति ही सरपंच बन सकेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि जिनके घर में शौचालय है, वे लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगें। हरियाणा सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए शौचालय होने की शर्त को अनिवार्य कर दिया है। महिला पंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है तथा अनुसूचित जाति की महिला पंच के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास रखी गई है।

गर्ग (2013) ने भारतीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक सशक्तिकरण में महात्मा गांधी की भूमिका : एक अध्ययन वनस्थली विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, राजस्थान पर शोध किया। इस शोध में उन्होने पाया कि महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना कोई समाज, राज्य और देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना करना असंभव है। जिस तरह विश्व स्तर पर महिलाओं की हर स्तर पर अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ी है उसी को आधार मानकर ही ग्रामीण स्तर पर भी महिलाओं की शिक्षा एवं दूसरे क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। ग्रामीण स्तर पर रसोई की सीमा को लांघकर ग्रामीण नेतृत्व कर रही है।

चास्टा (2016) ने अपने पीएच.डी शोध निबंध 'ग्रामीण नेतृत्व एवं स्थानीय सुशासन' वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान ने अजमेर जिले की महिला सरपंचों के संदर्भ में अनुभवपरक अध्ययन किया। उन्होने इस अध्ययन में पाया कि पंचायती राज में महिला नेतृत्व की वर्तमान व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। राजस्थान के रुढ़िवादी ग्रामीण समाज में जहाँ पर्दा–प्रथा, महिला निरक्षरता तथा पुरुष प्रधान व्यवस्था है, वहाँ उसी समाज की महिलाएँ बल्कि अति पिछड़े वर्ग से चयनित महिलाएँ जब सरपंच की कुर्सी पर पूरे गाँव के सामने बैठेंगी तो यह सुशासन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायती राज आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ और सार्थक हुआ है। जिससे सुशासन के विकास को एक नयी दिशा प्राप्त हुई। पंचायती राज में सुशासन के विकास में ग्रामों में महिला नेतृत्व एवं सक्रियता की सशक्त अभिव्यक्ति है। निदर्श समूह की व्यक्तिगत जानकारी से स्पष्ट होता है कि निदर्श की 138 महिला सरपंचों को शामिल किया गया है जो कि अजमेर जिले में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण के पश्चात् विजयी होकर सरपंच के पद को प्राप्त की है। उनके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में नवीन ग्रामीण नेतृत्व का अभ्युदय अवश्य हुआ है एवं महिलाओं सहित सभी वर्गों को नेतृत्वकारी स्थिति भी प्राप्त हुई है। किन्तु विडम्बना यह है कि इस नेतृत्व का शैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत न्यूनतम है, उनकी मानसिकता व मनोवृत्ति संकीर्ण है, उनमें सतत् जागरूकता, नियंत्रण, निर्देशन व समन्वय की क्षमता तथा कल्याणकारी योजनाओं की यथेष्ट जानकारी का नितांत अभाव है। अतः उभरते हुए नवीन महिला नेतृत्व को भावी दिशा व दशा को सुनिश्चित करते हुए नेतृत्व सतत् जागरूकता व क्रियाशीलता का परिचय दें, उन्हें अपने दायित्वों को समझना होगा तथा मनोवृत्ति व मानसिकता को विस्तृत करना होगा – अन्यथा अस्थिर, दिशाहीन, अल्पशिक्षित, अनुत्तरदायी व उदासीन नेतृत्व सुशासन एवं ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व के लिए निरर्थक सिद्ध हो सकता है। नेतृत्वकृत्री अशिक्षित एवं कम जागरूकता होते हुए भी ग्राम पंचायत में सूचना के अधिकार की क्रियान्विति में रुचि तो रखती है परन्तु उन्हें न तो निर्णयन प्रक्रिया में स्थान दिया जाता है और न ही प्रशासन का सहयोग जिसके कारण वे पद प्राप्त करने के बावजूद नाममात्र का ही वजूद रखती है उनसे सम्बन्धित सभी अधिकारों का प्रयोग परिवार के सदस्यों तथा अन्य सहयोगीजनों द्वारा किया जाता है जिसके कारण महिला सरपंचों को भ्रष्टाचार तथा अनियमितता की जानकारी होने के बावजूद इनको कम करने में स्वंय को अक्षम पाती है। इसी कारण सूचना के अधिकार को भी आधार नहीं मिल पाता एवं निरन्तर योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जो कि सुशासन के विकास में नकारात्मकता को इंगित करता है। आज

ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार योजनाएँ उपलब्ध है। उनके पोषण, रहन–सहन के स्तर में अधिक सुधार हुआ है। पंचायती राज में भूमिहीनों के पास भूमि उपलब्ध है। रोजगार की सुविधा है। ग्रामीण जनता के एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्टीय रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम अपने आपको सक्षम और सफल बनाया है। सभी के लिए रहन–सहन की उन्नत व्यवस्था है। उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक इत्यादि का सम्पूर्ण विकास हुआ है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायती राज में सुशासन व्यक्ति–व्यक्ति के लिए सुलभ और सार्थक हुआ है, जिससे सुशासन के विकास एवं उद्देश्य की प्राप्ति को एक नयी दिशा प्राप्त हुई है। सर्वांगीण विकास सम्भव हुआ है। सामन्ती प्रथा से पीड़ित ग्रामीणों को निजात मिली है और आज ग्रामीण चहुँमुखी विकास हेतु उन्नमुख है।

प्रतिचयन विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन की विशेष महता है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तीनों स्तरों यथा – जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के महिला जन प्रतिनिधियों को एक साथ निदर्शन में सम्मिलित न करते हुए केवल ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित हुई महिला सरपंचों एवं पंचों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके पीछे प्रमुख कारण तीनों स्तरों की पंचायतों के कार्य करने में बहुत अन्तर है। ग्राम स्तर पर पंचायती राज के क्रियान्वयन की वास्तविक जिम्मेदारी केवल ग्राम पंचायत की हैं। इसी के साथ सरपंचों, पंचों की ही भूमिका विशिष्ट एवं केन्द्रीय होने के कारण निदर्शन में उन्हें ही सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध प्रारूप

इस शोध–पत्र में तथ्यों व आंकड़ें पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं से लिए गए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार, प्रश्नावली व अवलोकन विधि के द्वारा एकत्रित किए गए हैं। इस प्रकार शोध में अनुभवपरक पद्धति का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त तथ्यों व आंकड़ों का संकलन कर उनको सांख्यिकीय व वर्णनात्मक विधियों से विश्लेषित किया गया है। जो वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक सांख्यिकीय विधि द्वारा अध्ययन किया गया है।

सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन (2015) के तहत लागू की गई शर्तो पर आपकी राय

हरियाणा पंचायती राज चुनाव, 2016 अपने आप में स्थानीय सरकार में सुधारों का पथ प्रदर्शक बनकर उभरा है। दिसम्बर, 2015 को हरियाणा पंचायती राज संशोधन, 2015 पर मोहर लगाते हुए सभी चुनावों शर्तों को सही ठहराया गया। अतः प्रस्तुत शोध में यह जानना आवश्यक हो गया कि क्या सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन, 2015 के तहत जो शर्ते लागू की गई है, उसके बारे में उनकी क्या राय है।

तालिका संख्या – 1.1

सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन (2015) के तहत लागू की गई शर्तो पर आपकी राय

क्र०	पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन	उत्तरदाताओं की संख्या					
		2010			2015		
		हिसार	फतेहाबाद	2010	हिसार	फतेहाबाद	2015
1	सहमत हैं	14 (23.72%)	14 (23.72%)	28 (62.2%)	15 (25.42%)	16 (27.11%)	31 (75.60%)
2	पूर्णतः सहमत है	1 (11.11%)	5 (55.55%)	7 (15.5%)	6 (66.66%)	–	2 (4.87%)
3	असहमत	10 (55.55%)	–	10 (22.2%)	5 (27.77%)	3 (16.66%)	8 (19.5%)
कुल		25	20	45	22	19	41

तालिका संख्या 1.1 में दर्शाया गया है कि पंचायत सदस्य रही 68.60 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में लागू की गई शैक्षणिक योग्यता की शर्तों से सहमत हैं। 10.46 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः सहमत तथा 20.83 प्रतिशत असहमत हैं। अतः कुल 86 (100 प्रतिशत) उत्तरदाताओं में से 59 (68.60 प्रतिशत) इन शैक्षणिक योग्यता की शर्तों से सहमत दिखाई दी। सबसे अधिक सहमति दिखाई है।

पंचायत चुनावों में लागू की गई शैक्षणिक योग्यता से सहमती

राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है। जहाँ पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्यशियों के लिए न्यूयनतम शैक्षिण योग्यता निर्धारित की गई है। पूर्व में रहे पंचायत सदस्यों का मानना है कि यदि सरकार संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए ऐसा कर रही है, तो उसकी शुरूआत लोकसभा या विधानसभा प्रत्याक्षियों के लिए क्यों नहीं की गई। अतः प्रस्तुत शोध ये उत्तरदाताओं से यह जानना आवश्यक था कि पंचायत चुनावों में लागू की गई शैक्षणिक योग्यता से सहमत है ?

पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा

शिक्षा एक ऐसा साधन है, जो मानव को अंधकार से उजाले में ले जा सकता है। शायद यह शिक्षा का ही कमाल है, वर्तमान पंचायत में महिलाओं का नेतृत्व बहुत बड़ी संख्या में उभर कर सामने आया है। इसलिए प्रस्तुत शोध में निर्वाचित महिलाओं से प्रश्न पूछा गया कि क्या वे पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला है।

तालिका संख्या – 1.2
पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा

क्र०		उत्तरदाताओं की संख्या					
		2010			2015		
		हिसार	फतेहाबाद	2010	हिसार	फतेहाबाद	2015
1	हाँ	22 (32.83%)	12 (17.91%)	34 (75.5%)	17 (25.37%)	16 (23.88%)	33 (80.4%)
2	नहीं	3 (15.78%)	8 (42.10%)	11 (24.4%)	5 (26.31%)	3 (15.78%)	8 (19.51%)
कुल		25	20	45	22	19	41

तालिका संख्या 1.2 में दर्शाया गया है कि क्या शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा या नहीं। 77.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें लगता है कि शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा, 22.09 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। अतः प्रस्तुत शोध में उत्तरदाताओं का मानना है कि शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।

पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिलाओं की साक्षरता दर बढेगी

बहुसंख्यक महिलाऐं अपने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों से अनभिज्ञ है। इन अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें एक अवसर देना जरूरी है। धारा 21 (ए) के तहत अधिकाधिक संख्या में 14 वर्ष तक की बालिकाएँ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का लाभ पा रही है। इससे ग्रामीण भारत में महिला साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। अतः उत्तरदाताओं से यह जानना आवश्यक हो गया कि पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से क्या महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ेगी ?

तालिका संख्या – 1.3
पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिलाओं की साक्षरता दर बढेगी

क्र०	महिलाओं की साक्षरता दर	उत्तरदाताओं की संख्या					
		2010			2015		
		हिसार	फतेहाबाद	2010	हिसार	फतेहाबाद	2015
1	हाँ	24 (30.37%)	17 (21.51%)	41 (91.1%)	21 (26.58%)	17 (21.51%)	38 (92.6%)
2	नहीं	1 (14.28%)	3 (42.85%)	4 (8.8%)	1 (14.28%)	2 (28.57%)	3 (7.31%)
कुल		25	20	45	22	19	41

तालिका संख्या 1.3 में दर्शाया गया है कि पंचायत सदस्य रही 91.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ेगी जबकि 8. 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की। अतः शोध में अधिकतम उत्तरदाता मानती हैं कि पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से महिलाओं की साक्षरता दर में बढ़ोतरी होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- देसाई, ए०आर० (2004), भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
- देसाई, नीरा (1962), भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली
- धल, संगीता (2000), भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व का मुद्दा, प्रिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- धवन, एम०एल० (2003), भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता संघर्ष, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
- पुरोहित, अमित (2001), पंचायती राज व्यवस्था, पत्रिका प्रकाशन, जयपुर
- भट्ट, आशीष (2002), लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
- सामरिया, मन्जू (2014), पंचायती राज में पुरुष एवं महिलाएँ, प्रथम संस्करण, कुनाल बुक्स, नई दिल्ली
- शुक्ला, एस०पी० (2015), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास एवं मूल्यांकन, गौर, पी०पी० एवं मराठा, आर०के० (सम्पादक), लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास (पुस्तक), आदित्य पब्लिशर्स,
- शर्मा, राजेन्द्र कुमार (1996), ग्रामीण समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली